**Ans. (a)** राजस्थान में महिलाओं के कल्याण हेतु 'राजस्थान राज्य महिला आयोग' का गठन राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है जो स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया है। यह एक अर्द्ध- न्यायिक निकाय है।

**171. राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा/कौन सी कथन सत्य है/है?**

(i) आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
(ii) आयोग का गठन 15 मई, 1999 को हुआ।
(iii) यह गैर-संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है।
(iv) इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जाँच करना है।

(a) (i), (ii) (b) (i), (ii), (iii)
(c) (ii), (iii), (iv) (d) (i), (ii), (iii), (iv)

**VDO-2021 Exam Date 27.12.2021 Shift-I**

**Ans. (c) –** राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह संवैधानेत्तर व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतें सुनना तथा उनकी जाँच करना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेहाना रियाज़ चिश्ती (11/02/2022 से 10/02/2025) है।

**172. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा?**

(a) कांता कथूरिया (b) तारा भण्डारी
(c) लाड कुमारी जैन (d) गिरिजा व्यास

**VDO-2021 Exam Date 27.12.2021 Shift-II**

**Ans. (d)** राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर गिरिजा व्यास आसीन नहीं रही है। जबकि अन्य उपरोक्त राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित रही है। जिनका कार्यकाल इस प्रकार है-

श्रीमती कांता कथूरिया-(25 मई, 1999 से 24 मई, 2002 तक)

श्रीमती तारा भण्डारी- (15 अप्रैल, 2006 से 14 अप्रैल, 2009 तक)

प्रो. लाड कुमारी जैन-(24 नवम्बर, 2011 से 23 नवम्बर, 2014 तक

**Note :** वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती हैं। इनका कार्यकाल (11 फरवरी, 2022 से 10 फरवरी, 2025 तक है)

## (xii) उपभोक्ता संरक्षण

**173. श्रम ब्यूरो, शिमला, सितंबर-2020 से राजस्थान के किन केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिको हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष - 2016) जारी करता है?**

(a) अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर
(b) अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा
(c) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर
(d) अलवर, अजमेर, जयपुर

**Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-C**

**Ans. (a) :** श्रम ब्यूरो, शिमला, सितम्बर-2020 से राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्त मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2016) जारी किया।

**174. राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 प्रभावी हुआ है-**

(a) 18 दिसम्बर, 2019 से (b) 3 मार्च, 2020 से
(c) 7 मई, 2020 से (d) 31 दिसम्बर, 2020 से

**Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-B**

**Ans. (a) :** राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020, 18 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को लोक कल्याणकारी लाभों और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के उपाय का प्रावधान करता है।

**175. राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है?**

(a) 15 दिन (b) 30 दिन
(c) 45 दिन (d) 60 दिन

**Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-A**

**Ans. (d) :** राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था।

**176. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम-2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए-**

**(i) इसकी शुरूआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई।**
**(ii) सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है।**
**सही कूट का चयन कीजिए-**

(a) केवल (i) सही है
(b) केवल (ii) सही है
(c) न तो (i) ना ही (ii) सही है
(d) (i) एवं (ii) दोनों सही है

**Kanisht Abhiyanta (Civil)-18.05.2022**

**Ans. (d) :** राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम-2011 के बारे में दोनों कथन सत्य है। इसकी शुरूआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गयी। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। यह राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटीकृत सुपुर्दगी नियम - 2011, 14 नवम्बर, 2011 से लागू है।

**177. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएँ शामिल की गई हैं?**

(a) 108 (b) 112
(c) 115 (d) 118

**RPSC-2011**
**RPSC RAS/RTS 2015**

**Ans. (a) :** लोक सेवा अधिनियम 2011 की राजस्थान गारंटीकृत डिलीवरी प्रारम्भिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में स्थानीय स्वाशासन विभाग की 11 सेवाओं साहित 18 विभगों को कवर करने वाली 153 सेवाएँ अधिनियम के अर्न्तगत शामिल है।